न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1040/2024

अनवान : –

1. सरोज पुत्री महावीर पत्नि रमेश जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी श्रीगंगानगर।

– **वादी**

बनाम्

1. गिरदावरी पत्नि रामकुमार जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
2. महावीर पुत्र भादर जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
4. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिह भारी अधिवक्ता **प्रतिवादीया**

निर्णय दिनांकः 20/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 3 आर.एम.जी. तहसील नोहर के प.न. 360/457 के मु.न. 67 के किला नं. 1,10,11 व प.न. 360/456 मु.न. 56 के किला नं. 1,2,9,11,20,21 व प.न. 360/455 मु.न. 55 के किला नं. 19, 20, 21, 22 की कुल 13 बीघा 16 बिस्वा भूमि व रोही मौजा चक 7 आर.एमजी. तहसील नोहर के प.न. 359/455 मु.न. 55 के किला नं. 16 ता 19 व 22 ता 25 प.न. 359/456 मु.न. 56 के किला नं. 2 ता 9 व 12 ता 19 व 22 ता 25 की कुल 38 बीघा भूमि वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 के दादा की सयुक्त पैदा कर्दा भूमि थी जिसके वे खातेदार काश्तकार थे।

वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 के दादा की मृत्यु के पश्चात उनके वारिस महावीर, मनीराम, मुन्शीराम, के नाम दर्ज हुई चूंकि वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 के पिता के नाम रोही मौजा चक 3 आर.एम.जी. तहसील नोहर के खाता सं. 56/53 के प.न. 360/455 मु.न. 55 के किला नं. 19 ता 22 की 1.0120 हैक्टर भूमि प.न. 360/456 मु.न. 56 के किला नं. 1/1, 1/2 व 2/12/29 ता 11 व 20 व 21 की गै.मु. 0.0510 हैक्टर भूमि, बारानी 1.7200 हैक्टर प.न. 360/457 मु.न. 67 के किला नं. 1 व 10, 11 की 0.7590 हैक्टर भूमि कुल 3.5420 हैक्टर भूमि में से वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 के पिता महावीर का 1/6 हिस्सा भूमि हिस्से में आई एंव रोही मौजा चक 7 आर.एम.जी. तहसील नोहर के खाता सं. 63/62 के प.न. 359/455 मु.न. 55 के किला नं. 16/1, 16/2 व 17 ता 19 व 22 ता 24, व 25/1,25/2 की कुल गै.मु. रास्त[illegible] हैक्टर [illegible] [illegible]730 हैक्टर भूमि प.न. 359/456 मु.न. 56 के किला नं. 2 ता 4, 5/1,5/2 व [illegible] 2 व 7 ता 9 व 12 ता 14 व 15/1, 15/2, 16/1 16/2 व 17 ता [illegible] 25/2 क बारानी 4.9320 हैक्टर गै. मु. रास्ता 0.1280 हैक्टर भूमि प.न. 359/457 [illegible] 67 के किला नं. 2 [illegible] व 5/1. 5/2 व 6/1, 6/2 व 7 ता 9, 14 व 15/1, 15/2 की बारानी 2.4530 हैक्टर गै. मु रास्त 0.0770 हैक्टर कुल तादादी 9.6140 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:24:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

7 के पिता महावीर का 1/6 हिस्सा भूमि हिस्से में आई। वादिया के पिता के द्वारा करवाया गया बैयनामा जो उन्होने हक व हिस्सा से अधिक व वादिया व प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 के हिस्सा की हद तक निरस्त फरमाया जावे यही बिनाय दावा है। उक्त कृषि भूमि भूमि प्रतिवादी सं. 2 ने अपने अकेले के नाम दर्ज करवा थी चूंकि उपरोक्त कृषि भूमि दादालाई भूमि थी जिसमें वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 का बाई बर्थ राईट था यानि ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार थे चुकि प्रतिवादी सं. 2 अकेले के नाम दर्ज होने कारण उन्होने अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि का रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01/06/2024 को प्रतिवादी सं. 1 को फरोख्त कर दी चूंकि प्रतिवादी सं. 2 को सम्पूर्ण कृषि भूमि फरोख्त करने का हक नही था।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि में महावीर के जीवन काल में कोई हक हिस्सा नही है क्योंकि भूमि पैतृक नही है एवं महावीर द्वारा अपनी घरू जायज जरूरतो को पुरा करने के लिए बैय किया गया है एवं प्रतिवादी स0 1 द्वारा दिनांक 01.06.2004 को उक्त भूमि जरिये रजि0 बैयनामा समस्त प्रतिफल अदा कर खरीद की गई है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमावे।

साक्ष्य वादीया में सरोज ने अपने बयान लेखबद्ध करवाये व बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी चक 3 आरएमजी सम्वत 2073–76 खाता स0 56/53 ईएक्सपी–1, नकल 7 आरएमजी सम्वत 2073–76 खाता स0 63/62 ईएक्सपी–2, नकल पर्चा खतौनी रोही मौजा दीपलाना ईएक्सपी–3, नकल पर्चा खतौनी रोही मौजा दीपलाना ईएक्सपी–4, नकल नामान्तरण चक 7 आरएमजी ईएक्सपी–5, नकल जमाबंदी सम्वत 2049 चक 7 आरएमजी ईएक्सपी–6, नकल बैयनामा ईएक्सपी 7ए प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीया सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने निवेदन किया की उक्त भूमि वादीया के दादा के नाम दर्ज थी एवं वादीया के दादा के देहान्त के बाद प्रतिवादी स0 2 के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज हुई उक्त भूमि पैतृक भूमि है लेकिन प्रतिवादी स0 2 द्वारा प्रतिवादी स0 1 को उक्त भूमि का जरिये बैयनामा दिनांक 01.06.2004 को बेचान कर दिया जबकि प्रतिवादी स0 2 अपने हक हिस्सा को ही बेच कर सकता था परन्तु प्रतिवादी स0 2 द्वारा अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 को बेचान किया गया है अत वादीया के पिता यानि की प्रतिवादी स0 2 द्वारा किया गया बैयनामा जो की अपने हक हिस्सा से अधिक व वादिया व प्रतिवादी स0 5 ता 7 के हिस्सा की हद तक निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:24:34 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
मोहर

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। वादीया द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार पूर्व में भूमि वादीया के दादा के नाम दर्ज रही है एवं उसके बाद वादीया के पिता यानि की प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी स0 2 द्वारा दिनांक 01.06.2004 को जरिये रजि0 बैयनामा प्रतिवादी स0 1 को बैय की गई है। वादीया का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक थी लेकिन प्रतिवादी स0 2 द्वारा अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि को बैय किया गया है इसएिल दिनांक 01.06.20004 को किया गया बैयनामा वादीया व प्रतिवादीगण स0 5 ता 7 के हिस्सा की हद तक निरस्त फरमाावे जबकि इस न्यायालय द्वारा वादीया बैयनामा निरस्त करवा पाने की अधिकारी नही है। बैयनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी स0 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.06.2004 को समस्त प्रतिफल अदा कर भूमि खरीद की गई है एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में निष्पादित बैयनाम आदिंनाक तक वैध है वादीया द्वारा रजि0 बैयनामा दिनांक 01.06.2004 के खंडन में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है एवं उक्त बैयनामा दिनांक 01.06.2004 है एवं वादीया द्वारा करीबन 20 वर्ष बाद वाद पेश किया गया है इतने वर्षो तक वादीया द्वारा बैयनामा बाबत क्या कार्यवाही की गई बाबत कोई दस्तावेज भी पेश नही किया गया है। अत वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:24:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1040 / 2024

अनवान : –

1. सरोज पुत्री महावीर पत्नि रमेश जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम्

1. गिरदावरी पत्नि रामकुमार जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
2. महावीर पुत्र भादर जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
4. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1040 सन 2024 निर्णय दिनांक 20/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:24:34 IST
Reason: SelfAttested